भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2608
16 दिसम्बर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को प्राप्त मुआवजा

2608. श्री बापी हलदरः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत राज्य-वार और वर्ष-वार कितने किसानों को मुआवजा दिया गया तथा कितनी राशि प्राप्त हुई है;

(ख) क्या किसानों को उक्त मुआवजा प्राप्त करने में किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दावा किए जाने और उक्त मुआवजा प्राप्त होने के बीच दिनों की औसत संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा बीमा दावा निपटान की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक पंजीकृत किसान आवेदनों की संख्या भुगतान किए गए दावों की संख्या और लाभान्वित किसान आवेदनों की संख्या का राज्यवार और वर्ष-वार विवरण क्रमशः **अनुबंध-I** और II में दिया गया है।

(ख) से (ग): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के प्रचालन दिशानिर्देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार, अधिकांश दावों का निपटान बीमा कंपनियों द्वारा संबंधित राज्य सरकार से आवश्यक उपज डेटा प्राप्त होने के 21 दिनों में निर्धारित समय सीमा के अंदर कर दिया जाता है। तथापि, PMFBY के कार्यान्वयन के दौरान, दावों के भुगतान के संबंध में अतीत में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो मुख्य रूप से (क) राज्य सरकार के हिस्से की सब्सिडी प्रदान करने में विलंब (ख) बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों को गलत/विलंब से प्रस्तुत करने के कारण भुगतान न करना/देरी से भुगतान या कम भुगतान करना (ग) उपज संबंधी आंकड़ों में विसंगति तथा इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के बीच विवाद आदि के कारण थी। इन मुद्दों के कारण लंबित हुए दावों का निपटान, योजना के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार किए गए निवारण के पश्चात् ही किया जाता है।

(घ): सरकार ने ओडिशा सहित पूरे भारत में इस योजना के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने, पारदर्शिता लाने और दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं:

- सरकार ने सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना के प्रसार और किसानों के सीधे ऑनलाइन नामांकन सहित सेवाओं की डिलीवरी, बेहतर निगरानी के लिए बीमित किसान का विवरण अपलोड/प्राप्त करने और व्यक्तिगत किसान के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावा राशि का अंतरण सुनिश्चित करने के लिए केवल एकल डेटा स्रोत के रूप में **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP)** विकसित किया है।
- दावा वितरण प्रक्रिया की कड़ी निगरानी के लिए, खरीफ 2022 से दावों के भुगतान हेतु **'डिजिक्लेम मॉड्यूल'** नामक एक समर्पित मॉड्यूल चालू किया गया है। इसमें NCIP को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है ताकि बीमा कंपनी द्वारा समय पर भुगतान नहीं किए जाने पर खरीफ 2024 से सभी दावों का समय पर और पारदर्शी तरीके से निपटान सुनिश्चित किया जा सके।
- प्रीमियम सब्सिडी में केंद्र सरकार के हिस्से को राज्य सरकारों के हिस्से से डीलिंक कर दिया गया है ताकि किसानों को केंद्र सरकार के हिस्से से संबंधित आनुपातिक दावे प्राप्त हो सकें।
- PMFBY के प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि बीमा कंपनी द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, तो खरीफ 2024 से राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) के माध्यम से 12% का जुर्माना स्वतः गणना करके लगाया जाएगा।
- इसी प्रकार, यदि राज्य सरकार निर्धारित समयावधि से प्रीमियम सब्सिडी देने में देरी करती है, तो उन्हें भी 12% का जुर्माना देना होगा।
- वर्ष 2025-26 से ट्रांच बेस्ड दावा भुगतान शुरू कर दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त, योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में, सीसीई-एग्री ऐप के माध्यम से उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोग (CCE) डेटा को कैप्चर करना और इसे NCIP पर अपलोड करना, बीमा कंपनियों को CCE के संचालन को देखने की अनुमति देना, NCIP के साथ राज्य भूमि रिकॉर्ड को एकीकृत करना आदि जैसे विभिन्न कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं ताकि किसानों के दावों का समय पर निपटान हो सके।

- सरकार ने किसानों और पंचायती राज संस्थाओं (PRI) के सदस्यों के बीच PMFBY की प्रमुख विशेषताओं को प्रसारित करने के लिए राज्यों, कार्यान्वयन करने वाली बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और सामान्य सेवा केंद्रों (CSC) नेटवर्क द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों का सक्रिय रूप से समर्थन किया है।
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा खरीफ 2021 सीजन से 'क्रॉप इंश्योरेंस वीक/फसल बीमा सप्ताह' नामक एक सुनियोजित जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इसके साथ

ही, योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर किसानों के ज्ञानवर्धन के लिए ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर पर 'फसल बीमा पाठशालाओं' का भी आयोजन किया जा रहा है।

- सरकार ने 'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' नाम से देशव्यापी फसल बीमा पॉलिसी/रसीद वितरण का एक बड़ा अभियान भी चलाया था। ग्राम पंचायत/ग्राम स्तर पर विशेष शिविरों के माध्यम से PMFBY के तहत नामांकित किसानों को फसल बीमा पॉलिसी की रसीदों की हार्ड कॉपी वितरित की जाती हैं।

इस योजना के अंतर्गत, वर्ष 2023-24 से निष्पक्ष फसल क्षति एवं नुकसान आकलन और पारदर्शिता के लिए निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों को भी लागू किया गया है :

I. **यस-टेक (प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमान प्रणाली)** से रिमोट-सेंसिंग आधारित उपज अनुमान को धीरे-धीरे अपनाया जाएगा ताकि उपज का आकलन करने के साथ-साथ निष्पक्ष और सटीक फसल उपज अनुमान लगाने में सहायता मिल सके। यह पहल खरीफ 2023 से धान और गेहूँ की फसलों के लिए शुरू की गई है**,** जिसमें उपज अनुमान में 30% भारांश अनिवार्य रूप से यस-टेक से प्राप्त उपज को दिया जाएगा। सोयाबीन की फसल को खरीफ 2024 सीज़न से जोड़ा गया है।

II. **विंड्स (मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा सिस्टम)** : स्वचालित मौसम केंद्रों (एडब्ल्यूएस) और स्वचालित वर्षामापी यंत्र (एआरजी) का नेटवर्क स्थापित करने हेतु विंड्स की संस्थापना की गई है, जो ग्राम पंचायत तथा ब्लॉक स्तर पर हाइपर-लोकल मौसम संबंधी डेटा एकत्र करने हेतु मौजूदा नेटवर्क से 5 गुना है। इसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के समन्वय से अंतर-संचालन और डेटा साझाकरण के साथ राष्ट्रीय डेटाबेस में दर्ज किया जाएगा। विंड्स न केवल येस-टेक के लिए डेटा प्रदान करता है, बल्कि प्रभावी सूखा और आपदा प्रबंधन, सटीक मौसम पूर्वानुमान और बेहतर पैरामीट्रिक बीमा उत्पादों की पेशकश भी करता है।

अनुबंध-I

PMFBYई और RWBCIS: वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक (31 अक्टूबर 2025 तक) नामांकित आवेदन, भुगतान किए गए दावे और लाभान्वित आवेदनों का राज्य-वार विवरण

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	नामांकित आवेदन (संख्या में)	भुगतान किए गए दावे (रुपये करोड़ में)	लाभान्वित किसानों के आवेदन (संख्या में)
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1,413	0.02	86
आंध्र प्रदेश	3,48,75,727	747.08	14,57,780
असम	50,95,937	605.74	8,47,219
छत्तीसगढ़	3,49,34,309	3,709.21	82,22,424
गोवा	1,371	0.01	70
हरियाणा	3,30,14,711	5,957.76	66,75,269
हिमाचल प्रदेश	13,55,624	374.95	5,74,975
जम्मू एवं कश्मीर	6,36,073	119.91	2,13,993
झारखंड	27,02,750	-	-
कर्नाटक	1,29,95,086	10,006.16	74,65,914
केरल	7,15,122	572.99	4,00,586
मध्य प्रदेश	7,17,51,158	13,863.37	2,10,28,519
महाराष्ट्र	7,92,47,032	26,342.00	3,69,07,277
मणिपुर	16,565	6.73	12,473
मेघालय	87,127	24.05	33,195
ओडिशा	5,47,87,922	2,579.54	84,74,312
पुदुचेरी	1,76,266	10.78	30,959
राजस्थान	15,98,80,717	18,851.16	3,89,75,706
सिक्किम	11,305	0.03	41
तमिलनाडु	2,87,60,131	5,829.86	1,17,74,309
त्रिपुरा	13,38,763	9.67	1,17,331
उत्तर प्रदेश	2,93,87,768	3,311.67	58,43,071
उत्तराखंड	11,10,625	968.50	6,93,560
कुल	**55,28,83,502**	**93,891.19**	**14,97,49,069**

अनुबंध-II

PMFBY और RWBCIS: वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक (31अक्टूबर 2025 तक) नामांकित आवेदन, भुगतान किए गए दावे और लाभान्वित आवेदनों का वर्ष-वार विवरण

वर्ष	नामांकित आवेदन (संख्या में)	भुगतान किए गए दावे (रुपये करोड़ में)	लाभान्वित किसान आवेदन (संख्या में)
2020-21	6,24,55,870	20,457.76	1,93,44,233
2021-22	8,29,80,129	20,563.65	3,43,65,103
2022-23	11,24,87,613	19,840.78	3,28,08,066
2023-24	14,35,72,488	20,773.33	3,70,64,583
2024-25	15,13,87,403	12,255.67	2,61,67,084
कुल	**55,28,83,503**	**93,891.19**	**14,97,49,069**

******